

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2070]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938

No. 2070]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

**का.आ. 2752(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे अक्षेपों की सुनवाई करने तथा जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

#### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फिरोजाबाद में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम— फिरोजाबाद

| क्र. सं. | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | भूमि का क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |
|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5                                   |
| 1.       | फिरोजाबाद    | दोंकेली      | 164         | 0.0120                              |
|          |              |              | 160         | 0.1000                              |
|          |              |              | 183         | 0.0240                              |

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईस्टर्न कॉरिडोर/785]  
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं — 1)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10 August, 2016

**S.O. 2752(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Special Railways Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District of Firozabad, in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the state of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Nagar Magistrate, Firozabad, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railways Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Firozabad of State Uttar Pradesh.**

**Name of the District- Firozabad**

| <b>S.No.</b> | <b>Name of Tehsil</b> | <b>Name of Village</b> | <b>Gata Number</b> | <b>Area in Hect.</b> |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>              | <b>3</b>               | <b>4</b>           | <b>5</b>             |
| 1.           | Firozabad             | Dokeli                 | 164                | 0.0120               |
|              |                       |                        | 160                | 0.1000               |
|              |                       |                        | 183                | 0.0240               |

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/785]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)